कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः–3735 / **FP/UK/WATER/26619/2017** देहरादूनः दिनांक 19 मई , 2018

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद– चमोली में विकास खण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत श्रोत संबर्द्धन (दीर्घकालीन) पेयजल योजना के निर्माण हेतु 1.149 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड़ पेयजल निगम को प्रत्यावर्तन।

(Online file no - FP/UK/WATER/26619/2017)

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाना है। सहमति की दशा में प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु भारत सरकार करे प्रेषित करने का कष्ट करें।
संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या /1जी– FP/UK/WATER/26619/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायू परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
4. निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।
5. जिलाधिकारी, जनपद–चमोली।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।
7. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड़ पेयजल निगम, गोपेश्वर (चमोली)।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः– जनपद– चमोली में विकास खण्ड़ जोशीमठ के अन्तर्गत श्रोत संबर्द्वन (दीर्घकालीन) पेयजल योजना के निर्माण हेतु 1.149 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड़ पेयजल निगम को प्रत्यावर्तन।

WATER 26619

(Online file no - FP/UK/~~Others~~/~~31012~~/2017)

टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त परियोजना हेतु नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व में **1.149** हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ तथा निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः **चमोली में विकास खण्ड़ जोशीमठ के अन्तर्गत श्रोत संबर्द्वन (दीर्घकालीन) पेयजल योजना के निर्माण हेतु** वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः (मनोज चन्द्रन भा.व.से.**)**

मुख्य वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहरः

तिथि : 19 /05/2018

स्थान : देहरादून